दिनांक 01.07.2007 से योजना पुनः लागू

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय भोपाल

'उद्योग मित्र योजना' 2004

विगत वर्षों में प्रदेश में रूग्ण तथा बंद उद्योगों की संख्या मे निरंतर वृद्धि होने से रोजगार के अवसरों में एवं शासन को राजस्व की प्राप्ति, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, शासकीय भूमि अनुपयोगी पड़ी है एवं इकाईयों की अनुत्पादक परिसंपत्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है । इससे लघु उद्योगों में निराशा का वातावरण उत्पन्न हुआ है । भारत शासन द्वारा प्रकाशित लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय संगणना 2002–2003 रिपोर्ट में प्रदेश में कुल पंजीकृत 1,71,376 सीडो इकाईयों में से 63,985 इकाईयां बंद पड़ी हुई हैं। भूमि/शेड आवंटन नियमों में इकाईयों की समस्याओं के समाधान हेतु उचित प्रावधान न होने से कई उद्यमी अपनी बंद/बीमार/अस्थापित/भूमि/शेड आवटन निरस्त इकाई को न तो स्थापित कर पा रहे हैं न ही अनुत्पादक परिसंपत्तियों का निराकरण कर पा रहे हैं । इससे न तो पूर्व आवंटी इकाई स्थापित कर पा रहे हैं न ही नये आवंटियों हेतु भूमि/शेड प्रमुख औद्योगिक संभावनाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध हैं ।

उपरोक्त स्थिति के निराकरण, निदान, लघु उद्योगों के पुर्नजीवन एवं प्रदेश के संसाधनों को नयी स्फूर्ति के साथ बेहतर उपयोग करने, उद्योगों में नये निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने एवं लघु उद्योग क्षेत्र में निराशा का वातावरण समाप्त करने, हेतु प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से लघु उद्योगों हेतु **''उद्योग मित्र. योजना–2004''** लागू की जाती है ।

1. योजना का नाम :–

यह योजना **''उद्योग मित्र योजना–2004''** के नाम से प्रचलित होगी ।

2. योजना का कार्यक्षेत्र :–

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों/शासकीय भूमि में भूमि/शेड प्राप्त, पंजीकृत लघु उद्योग एवं अन्य भूमि/शेड में स्थापित स्थाई पंजीकृत लघु उद्योग ।

3. परिभाषायें :–

जब तक कि प्रसंग से अन्यथा वांछनीय न हो

''मध्यप्रदेश राज्य'' – से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थापित क्षेत्र से है ।

''राज्य शासन'' – से तात्पर्य मध्यप्रदेश प्रदेश शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से है ।

''विभाग'' – से तात्पर्य वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीन उद्योग संचालनालय एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से है ।

''निगम'' – से तात्पर्य मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उसकी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के नाम से गठित सहायक कंपनियां से है, जिनके ग्वालियर,भोपाल,इन्दौर,जबलपुर एवं रीवा में मुख्य कार्यालय स्थापित हैं ।

''महाप्रबन्धक'' – से तात्पर्य जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पदस्थ महाप्रबन्धक है ।

''प्रबंध संचालक'' – से तात्पर्य मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम में पदस्थ प्रबंध संचालक से है ।

''उच्चाधिकारी'' – से तात्पर्य महाप्रबन्धक के मामले में उद्योग आयुक्त एवं प्रबंध संचालक के मामले में प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जो औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के अध्यक्ष भी हैं, से है ।

''अतिशेष भूमि'' – से तात्पर्य मध्यप्रदेश उद्योग शेड प्लाट एवं भूमि आवंटन नियम 1974 यथासंशोधित 1.4.1999 के अनुसार आवंटित भूमि पर नियमों में निर्दिष्ट सीमा तक निर्माण उपरांत एवं निर्दिष्ट सीमा तक खुले क्षेत्र को छोड़कर बची ऐसी भूमि से है जो इकाई को आवंटित भूमि के 50 प्रतिशत से कम न हो साथ ही जिसका आकार 15x30 वर्गमीटर से कम न हो, जिस पर पृथक पहुंच मार्ग उपलब्ध हो एवं बिजली, पानी,नाली आदि बुनियादि सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकती हों ।

''औद्योगिक क्षेत्र'' – से तात्पर्य वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के स्वामित्व/ आधिपत्य की भूमि पर विकसित, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों एवं औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के अंतर्गत संचालित औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक संस्थान/अर्द्धशहरी औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला/ग्रोथ सेंटर अथवा उद्योगों को आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि से है ।

''आवंटी''	–	से तात्पर्य औद्योगिक क्षेत्र में भूमि/शेड आवंटन प्राप्त कर लीजडीड निष्पादन व पंजीयन उपरांत आधिपत्य प्राप्तकर्ता इकाई से है ।
''बंद इकाई''	–	से तात्पर्य ऐसी लघु उद्योग इकाई है जो कि वाणिज्यिक उत्पादन में आने के बाद अपरिहार्य कारणों से लगातार पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बंद रही हो एवं जिसमें उत्पादन न हुआ हो ।
''बीमार इकाई''	–	से तात्पर्य न्यूनतम दो वर्षों तक वाणिज्यिक उत्पादन मे ंरही ऐसी लघु उद्योग इकाई से है जिसके संस्थागत ऋण खाते में दिनांक 31.3.2003 को मूलधन अथवा ब्याज की अदायगी एक वर्ष से अधिक की अवधि तक कालातीत (ओव्हर डयू) अथवा विगत लेखा वर्ष में संचित नगद हानियों (एक्यूमुलेटेड कैश लास) के कारण नेटवर्थ में 50 प्रतिशत क्षरण (इरोजन) हो गया हो ।
''स्थापनाधीन इकाई''	–	से तात्पर्य ऐसी इकाई से है जिसे आवंटित भूमि/शेड पूर्णतः रिक्त न हो अर्थात उसके द्वारा कुछ स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो ।
''अपरिहार्य कारण''	–	से तात्पर्य इकाई बंद/बीमार/अस्थापित होने के इकाई के नियंत्रण से परे कारणों से है जैसे–प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प,बाढ़,अग्नि,तूफान आदि) के फलस्वरूप दुर्घटना, श्रमिक/कर्मचारियों की लंबी हड़ताल, प्लांट व मशीनरी में मेजर ब्रेक डाउन, न्यायालयीन/शासन आदेश, इकाई के स्वामी/प्रमुख भागीदार/संचालक की गंभीर बीमारी अथवा निधन, गुणवत्तापूर्ण नयी तकनीकों से पुराने यंत्र–संयंत्रों से उत्पादन अलाभप्रद हो जाना, आवेदन एवं प्रयास उपरांत बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण न मिलना, विभिन्न शासकीय विभागों/उपक्रमों से आवश्यक अनुमतियां न मिलना, पुरानी इकाईयों की देयताओं के कारण नयी इकाई को विद्युत कनेक्शन न मिलना, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय विभागों द्वारा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण एवं विपणन प्रतिस्पर्धा में न टिक पाना आदि से है ।
''प्रीमियम''	–	से तात्पर्य वर्तमान प्रचलित मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 में निर्धारित प्रब्याजी दर/राशि से है ।
''परिवार''	–	से तात्पर्य रक्त संबंधी माता–पिता, पति–पत्नि, भाई–बहन, पुत्र–पुत्री, दादा–दादी, पोते–पोती से है ।
''गठन परिवर्तन–हस्तांतरण''	–	से तात्पर्य इस योजनांतर्गत गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप मूल आवंटी के शेयर 25 प्रतिशत से कम हो जाने से है।

4. योजना की अवधि :–

योजनांतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से 6 माह में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे । प्रकरणों में अंतिम निराकरण हेतु अंतिम तिथि 31.12.2004 होगी । निराकरण उपरांत प्रदत्त लाभ प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.3.2005 होगी । इस अवधि उपरांत योजना समाप्त मानी जायेगी व प्राप्त प्रकरणों का निराकरण तत्समय प्रचलित आवंटन नियमों अनुसार किया जायेगा ।

5. पात्रता श्रेणी एवं विभाग/निगम द्वारा राहत/सुविधा

(अ) भूमि/शेड आवंटन नियमों से संबंधित :–

(i) पात्रता श्रेणी वार भूमि शेड आवंटन नियमो से संबंधित सुविधायें निम्नानुसार हैं :–

स. क्र.	आवंटी इकाई पात्रता श्रेणी	प्रदत्त सुविधा	सुविधाशर्त/प्रीमियम दर
1	स्वयं उद्योग स्थापना/पुर्नजीवन हेतु इच्छुक बंद/बीमार/स्थापनाधीन/रिक्त भूखण्ड वाली आवटी इकाईयां, चाहे आवंटन निरस्त हो या अनिरस्त ।	एकवर्ष समयावधि सहित आवंटन व लीजडीड बहाली	निःशुल्क लीजडीड बहाली किन्तु विभाग की बकाया देयताएं एक मुश्त चुकाना आवश्यक। केवल शास्ति माफ।
2.	गठन परिवर्तन/हस्तांतरण हेतु इच्छुक बंद/बीमार/स्थापनाधीन निरस्त आवंटी इकाईयां	अ. लीजडीड बहाली ब. गठन परिवर्तन अनुमति स. हस्तांतरण हेतु अनुमति	अ. निःशुल्क लीजडीड बहाली किन्तु विभाग की बकाया देयताएं एक मुश्त चुकाना आवश्यक। केवल शास्ति माफ। ब. आधे प्रीमियम (50 प्रतिशत) पर स. पूरे प्रीमियम (100 प्रतिशत) पर
3.	अतिशेष भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु अन्य को हस्तांतरण चाहने वाली सभी आवंटी इकाईयां ।	हस्तांतरण अनुमति	पूरे प्रीमियम एवं उसके आधे हस्तांतरण शुल्क पर
4.	रिक्त भूखण्ड आधिपत्य में रखने वाली गठन परिवर्तन/हस्तांतरण हेतु इच्छुक आवंटी इकाईयां	अ. गठन परिवर्तन अनुमति ब. हस्तांतरण अनुमति स. निरस्त भूखण्ड का हस्तांतरण	अ. तीन चौथाई (75%) प्रीमियम पर ब. दो गुना प्रीमियम पर स. निरस्तीकरण के दिनांक से 5 वर्ष से कम अवधि के निरस्त भूखंड के प्रकरण में दोगुना प्रीमियम एवं 5 वर्ष से अधिक अधिकतम 10 वर्ष के प्रकरणों में तीन गुना प्रीमियम पर।
5.	हायर परचेज योजनांतर्गत शेड प्राप्त आवंटी इकाईयां जो एकमुश्त	अ. एकमुश्त आवटन	अ. ब्याज सहित शेष देयतायें चुकाने पर दंड

	आवंटन/हस्तांतरण हेतु इच्छुक हों ।	ब. हस्तांतरण सुविधा	ब्याज व शास्ति माफ ब. पूर्व आवंटी की सभी देयतायें चुकाने पर
6	विभाग/निगम की देयताओं के न चुकाने/अन्य शर्तों जैसे अतिक्रमण आदि के उल्लंघन के कारण निरस्त स्थापित आवंटी इकाईयां ।	आवंटन/लीजडीड बहाली	एकमुश्त देयतायें चुकाने पर शास्ती माफ व अतिक्रमण हटाने पर ही सुविधा प्राप्त होगी।
7.	शासन/विभाग/निगम/पूर्व जिला योजना समिति में लंबित प्रकरण ।	प्रकरणों की प्रकृति अनुसार उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप पात्रता ।	
8.	न्यायालय में स्वयं प्रचलित वाद वापस लेकर अथवा शासन/बैंक/वित्तीय संस्थाओं आदि के साथ चल रहे वाद में समझौता/अनापत्ति प्राप्त कर स्वयं/गठन परिवर्तन कर उद्योग स्थापना/पुर्नजीवन अथवा हस्तांतरण हेतु इच्छुक आवंटी इकाई ।	वाद वापसी, समझौता पत्र, अनापत्ति अथवा उपरोक्त हेतु शपथपत्र के रूप में अंडरटेकिंग प्रस्तुती पर प्रकरणों की प्रकृति अनुसार उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप पात्रता ।	
9	उपरोक्त पात्रता श्रेणियों से भिन्न प्रकरण जिन्हें शासन/उद्योग आयुक्त/प्रबंध संचालक,म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा योजनांतर्गत पात्रता दी गई हो ।	यथा शासन/उद्योग आयुक्त /प्रबंध संचालक,म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा प्रदत्त निर्णयानुसार पात्रता	

(ii) स्वामित्वक/भागीदारी आवंटी इकाईयों को, रक्त संबंधी पारिवारिक सदस्यों को, भागीदार बनाने हेतु निःशुल्क अनुमति दी जायेगी । ऐसी इकाईयां रक्त संबंधी परिजनों की भागीदारी में नई इकाई स्थापना एवं स्थापित इकाई हेतु पृथक लीजडीड निःशुल्क निष्पादित कर सकेंगी ।

(iii) हस्तातंतरण प्रकरणों में आवंटी इकाईयेां को विभाग/निगम की वर्तमान हस्तांतरण प्रक्रियानुसार वर्तमान प्रचलित दर पर ली जाने वाली वार्षिक लीज रेंट, सिक्यूरिटी एवं विकास शुल्क आदि की राशि पृथक से देय होगी ।

(iv) योजनांतर्गत लाभ प्राप्त आवंटी इकाईयों को निर्णय सूचना दिनांक से एक माह के अंदर उन पर बकाया विभाग/निगम की समस्त देय राशियां जैसे कि लीजरेंट, सिक्यूरिटी डिपाजिट, विकास शुल्क एवं वसूली योग्य लागत पूंजी अनुदान एकमुश्त जमा करनी होगी । शास्ती से छूट दी जायेगी ।

(v) बंद/बीमार आवंटी इकाईयों के हस्तांतरण प्रकरणों में पूर्व इकाई पर देय विभाग/निगम की शेष देयताओं पर ब्याज एवं शास्ति की छूट दी जायेगी ।

(vi) आवेदन में प्रस्तुत विकल्प अनुसार लाभ आवंटी इकाई एक बार प्राप्त कर सकेगी । विकल्प परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(vii) आवंटी इकाई द्वारा पूर्व में चुकाई गई विभाग/निगम की देय राशियों का समायोजन योजनांतर्गत प्रदत्त सुविधा हेतु नहीं होगा ।

(viii) स्वयं/गठन परिवर्तन कर एक वर्ष का समय प्राप्त आवंटी इकाई को सुविधा स्वीकृति आदेश दिनांक से 3 माह के अंदर प्रभावी कदम उठाते हुए एक वर्ष के अंदर उद्योग स्थापना/पुनर्जीवन कर उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा अन्यथा

स्थिति में मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(ix) विभाग/निगम की किसी स्वीकृत/प्रस्तावित परियोजना हेतु चिन्हित भूमि/शेड के आवंटी योजनां की पात्रता नहीं रखेंगे यथा रेडिमेड गारमेंट काम्पलेक्स परदेशीपुरा, इन्दौर इत्यादि।

(x) योजना अवधि में, उत्पादनरत आवंटी इकाईयों द्वारा एक वर्ष से अधिक की शेष विभागीय/निगम की देयतायें एकमुश्त जमा करने पर ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(xi) योजना के विभिन्न प्रावधानों में दर्शित प्रीमियम राशि वर्तमान प्रचिलत विभागीय दरों पर देय होगी। निगम के प्रकरणों में योजनांतर्गत दर निर्धारण प्रबंध संचालक, स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा ।

(xii) यह योजना उन प्रकरणों में लागू नहीं होगी जिनमें भू खण्ड निरस्तीकरण के पश्चात् विभाग/निगम द्वारा भू खण्ड का आधिपत्य वापिस प्राप्त कर लिया गया हो।

(ब) प्रक्रियागत व अनुदान संबंधी विभाग/निगम की राहत/सुविधा :–

I. सिंगल एजेंसी प्रणाली के प्रावधान अनुसार सुविधा/सहायता दी जायगी

II. योजनांतर्गत पुर्नस्थापित इकाईयों के स्थाई पंजीयन यदि पूर्व में निरस्त हैं तो उन्हें पुनः स्थायी पंजीकृत किया जायेगा ।

6. योजना प्रक्रिया

I. विभाग/निगम द्वारा योजना समाचारपत्रों व इलेक्ट्रानिक माध्यमों में विज्ञापित की जायेगी ।

II. योजनांतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन ''प्रपत्र क्रमांक–1'' महाप्रबंधक/प्रबंध संचालक/उद्योग संगठन निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे जिन्हें इकाई पूर्ण कर महाप्रबन्धक/प्रबंध संचालक को योजना हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत कर पावती प्राप्त करेगी ।

III. प्राप्त आवेदन पत्र महाप्रबन्धक/प्रबंध संचालक पंजीकृत कर उसी दिन पावती जारी करेंगे ।

IV. आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस में महाप्रबन्धक/प्रबंध संचालक निर्धारित प्रारूप में ''प्रपत्र–2'' में इकाई को निर्णय एवं शर्तें सूचित करेंगे ।

V. ''प्रपत्र–2'' में निर्णय जारी करने के दिनांक से एक माह में आवेदक को शर्तों की पूर्ति करना होगी।

VI. शर्त पूर्ति के तीन दिवस में महाप्रबन्धक/प्रबंध संचालक सुविधा स्वीकृति आदेश निर्धारित प्रारूप ''प्रपत्र –3'' में जारी करेंगे ।

VII. बैंक/अन्य विभागों/संस्थाओं की वसूली से संबंधित मामलों में हस्तांतरण प्रकरणों पर विचार संबंधितों की लिखित अनापत्ति मूल रूप में आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकेगा ।

VIII. महाप्रबन्धक/प्रबंध संचालक निर्धारित प्रारूप में ''प्रपत्र–4'' में पंजी संधारित कर प्राप्त आवेदन एवं उनके निराकरण की जानकारी पंजीबद्ध करेंगे तथा सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस को उपरोक्त ''प्रपत्र 4 '' में जानकारी उद्योग आयुक्त/प्रबंध संचालक,म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को फैक्स एवं ई मेल से भेजेंगे ।

IX. महाप्रबन्धक/प्रबंध संचालक अपने अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक संगठनों के साथ अभियान चलाकर एवं कैम्प लगाकर योजना क्रियान्वयन करेंगे ।

7. सुविधा स्वीकृति प्राधिकारी :–

योजनांतर्गत सुविधा स्वीकृति हेतु महाप्रबन्धक/प्रबंध संचालक स्वीकृति प्राधिकारी होंगे।

8 निर्धारित प्रारूप :–

आवश्यक प्रारूप निर्धारण उद्योग आयुक्त द्वारा किया जायेगा ।

9. समीक्षा/मॉनिटरिंग :–

उद्योग आयुक्त/प्रबंध संचालक म. प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रति सप्ताह योजना की समीक्षा कर राज्य शासन को अवगत कराया जायेगा । समीक्षा में प्रदेश स्तरीय लघु उद्योग संगठनों को सम्मिलित किया जायेगा।

10. असत्य/त्रृटिपूर्ण जानकारी :–

योजनांतर्गत सुविधा प्राप्ति हेतु इकाई द्वारा त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी दी जाती है तो ऐसे आवेदन को आवेदन दिनांक से योजना के लाभ से वंचित करने हेतु उपयुक्त आदेश उद्योग आयुक्त / प्रबंध संचालक म. प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा जारी किया जायेगा जो आवेदक पर अंतिम व बंधनकारी होगा । ऐसा आदेश जारी करने से पूर्व संबंधित अधिकारी इकाई को सुनवाई का एक मौका दे सकेंगे। शासन को उपरोक्त के अलावा संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य आता है कि इकाई योजनांतर्गत पात्र नहीं थी तो शासन ऐसे निर्णय पर पुर्नविचार कर सकेगा।

11. व्याख्या एवं मार्गदर्शन :–

उद्योग आयुक्त एवं प्रबंध संचालक म. प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन संयुक्त रूप से योजनांतर्गत व्याख्या एवं मार्गदर्शन हेतु अधिकृत होंगे ।

12. संशोधन :–

योजना में संशोधन के अधिकार राज्य शासन को होंगे ।

– – –

प्रपत्र –1

लघु उद्योगों हेतु ''उद्योग मित्र योजना 2004''

आवेदनपत्र सह शपथ पत्र ।

1. इकाई का नाम : ....

2. कार्यालय का पूरा पता : ....
: ....
: ....

3. फैक्ट्री स्थल का पूरा पता : ....
....
....

4. स्थापना का वर्ष / उत्पादन दिनांक : ....

5 मालिक / भागीदार / संचालक के नाम : 1 ....
2. ....
3 ....

6. प्रमुख प्रवर्तक का / संचालक का नाम / पता / दूरभाष : ....
....
....

मोबाईल – फैक्स – ई–मेल क्रमांक

....

7. लघु उद्योग अंतर्गत पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक

8. उत्पाद एवं पंजीकृत वार्षिक क्षमता — उत्पाद — पंजीकृत वार्षिक क्षमता

9. अद्यतन स्थिाति :– आवेदन दिनांक को कार्यरत / बंद / बीमार / स्थापनाधीन

10 बैंक / वित्तीय संस्थाओं के नाम एवं बकाया राशि

बैक / वित्तीय संस्था का नाम	बकाया टर्मलोन	बकाया कार्यशील पूंजी खाता	बकाया कब से है

11 अन्य शासकीय विभागों / संस्थाओं से बकाया राशि ।

1.जि.व्या.उ.के / औ.के.वि.नि. : ....

2. म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल : ....

3. वाणिज्यिक कर : ....

4. एक्साइज (केन्द्र / राज्य) : ....

5. ई.एस.आई / पी.एफ : ....

6. राज्य लागत पूजी / अन्य : ....
शासकीय अनुदान : ....

	7 अन्य	.:	....		
12	आवंटित भूमि उपयोगिता				
	अ. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफीट)	.:	....		
	ब. इकाई का निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट)	.:	....		
	स. निर्मित अधोसंरचनायें एवं उनका वर्तमान मूल्य	.:	....		
13	स्थापित प्लांट एवं मशीनरी		मुख्य मशीनरी	मूल मूल्य	वर्तमान मूल्य (घसारा काटकर)
		1.			
		2.			
		3			
		4			
14	इकाई में स्थित अन्य स्थायी संपत्ति		संपत्ति का विवरण	वर्तमान मूल्य	
		1.			
		2.			
		3.			
15	आवेदन प्रयोजन				
	1.स्वयं उद्योग स्थापना/पुर्नजीवन	:	....		
	2.भागीदारी पर उद्योग स्थापना/पुर्नजीवन	:	....		
	3. हस्तांतरण	:	....		
16	योजनांतर्गत वर्णित पात्रता श्रेणी में से आप किस श्रेणी में आते हैं ? पूर्ण उल्लेख करें	:			
17	योजनांतर्गत पात्रता श्रेणीवार वर्णित सुविधा/राहत हेतु आप कौनसी सुविधा/राहत चाहते हैं अपने विकल्प का पूर्ण उल्लेख करें ।	:			
18	स्वयं/भागीदारी से उद्योग स्थापना/पुर्नजीवन हेतु प्रस्तावित योजना एवं नया पूंजी निवेश	**<u>अ.</u>**	**<u>स्थाई पूंजी</u>**		
			निवेश मद	प्रस्तावित राशि	निवेश स्त्रोत
		1.			
		2			
		3			
		<u>ब.</u>	**<u>कार्यशील पूंजी</u>**		
			निवेश मद	प्रस्तावित राशि	निवेश स्त्रोत
		1.			
		2			
19	विभिन्न न्यायालयों में दायर लंबित प्रकरणों का विवरण	न्यायालय	वादविषय	निराकरण की स्थिति	स्वयं प्रचलित/अन्य संस्था द्वारा प्रचलित

20	अन्य विवाद यदि कोई हो तो	:	
21	योजनांतर्गत वार्णित सुविधा राहत से भिन्न शासकीय विभागों एवं अन्य संस्थाओं से किसी प्रकार की सुविधा अपेक्षित होने पर कृपया स्पष्ट उल्लेख करें ।	विभाग/संस्था का नाम 1. 2 3 4	अपेक्षित सुविधा/सहायता

नोट :– उपरोक्त बिंदु क्रमांक 10, 11, 13, एवं 14 की जानकारी विगत वर्ष की बैलेंस शीट से दी जावे ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

पद ....

सील ....

शपथ पत्र

मैं ....पिता/पति श्री..

निवासी .... (पूर्ण पता) पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के शपथपूर्वक घोषित करता हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा आवेदन पत्र प्रपत्र 1 के बिंदु क्रमांक 1 से 21 में दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी सत्य है । इसमें किसी तथ्य को छिपाया अथवा छलपूर्ण ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं मेरे द्वारा योजना की भली भांति जानकारी प्राप्त कर ली गई है ।
2. मैं आवेदन पत्र की कंडिका 19/20 में स्वयं प्रचलित वाद वापिस लेने/विभाग,बैंक, वित्तीय संस्था, अन्य से समझौता कर योजनांतर्गत लाभ प्राप्ति हेतु सहमति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

पद ....

इकाई का नाम .एव सील ....

सामान्य निर्देश

1. मूल आवेदन 10 रू. के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पत्र पर नोटराइज्ड कर प्रस्तुत किया जाय एवं चार स्व प्रमाणित प्रति संलग्न की जायें
2. आवेदन पूर्ण कर संबंधित जिले के महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/प्रबंध संचालक औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के समक्ष योजनावधि में प्रस्तुत करें ।
3- आपके द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों में प्रमाण में यदि आप कोई दस्तावेज, आदि देना चाहें तो संलग्न कर सकते हैं ।

''उद्योग मित्र योजना 2004''

आवेदन पत्र पावती

श्री ....(नाम) द्वारा मे..
.(इकाई का नाम) हेतु योजनांतर्गत प्रस्तुत पूर्ण आवेदन पत्र दिनांक ....को कार्यालय मे प्राप्त कर आवेदन पंजी में क्रमांक ....पर दर्ज कर लिया गया है ।

हस्ताक्षर

नाम ....

पद ....

कार्यालय का नाम .एवं सील ....

..

प्रपत्र –2

''उद्योग मित्र योजना 2004''

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ....

क्रमांक–........... / 2004 / दिनांक

::निर्णय सूचना पत्र ::

प्रति

(इकाई का नाम व पूर्ण कार्यालयीन पता)

....

....

....

विषय :– ''उद्योग मित्र योजना 2004'' क्रियान्वयन ।

सन्दर्भ :–योजनांतर्गत आपका आवेदन पंजीयन क्रमांक.................दिनांक..................

————————

1. योजनांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर आपको निम्नानुसार सुविधा हेतु पात्र / अपात्र पाया गया है :–

(सुविधा पात्रता / अपात्रता विवरण)

1.
2.
3.

2. उपरोक्त पात्रतानुसार सुविधा स्वीकृति हेतु इस सूचना पत्र के जारी होने के दिनांक से एक यमाह के अन्दर निम्नानुसार शर्तों की पूर्ति कर कार्यालय को अवगत करायें :–

(शर्त का विवरण)

1. निर्णयानुसार सुविधा प्राप्ति हेतु सहमति
2. जमा की जाने वाली राशियों का विवरण
3. पूर्व देय राशियो का विवरण
4.
5.

3. निर्धारित समयावधि मे शर्त पूर्ति न होने पर समयावधि नहीं बढ़ाई जायेगी व आपको योजनांतर्गत प्रदत्त पात्रता स्वमेव समाप्त हो जायेगी एवं इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
कार्यालय की सील

क्रमांक–........... / 2004 / दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. उद्योग आयुक्त / प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ
2. अन्य संबंधित विभाग / संस्था ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
कार्यालय की सील

प्रपत्र –3

''उद्योग मित्र योजना 2004''

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ....
क्रमांक–........... / 2004 / दिनांक

::सुविधा स्वीकृति आदेश ::

प्रति

(इकाई का नाम व पूर्ण कार्यालयीन पता)
....
....
....

विषय :– ''उद्योग मित्र योजना 2004'' क्रियान्वयन ।
सन्दर्भ :–योजनांतर्गत आपको प्रेषित निर्णय सूचना पत्र क्रमांक.................दिनांक..................

————————————

1. आपके द्वारा संदर्भित पत्रानुसार सूचित शर्तों की पूर्ति करना पाया गया है । अतएव आपको योजनांतर्गत निम्नानुसार सुविधा स्वीकृत की जाती है :–

(सुविधा विवरण)

1.
2.
3.

2. कृपया सुविधा उपभोग हेतु निम्नानुसार कार्यवाही इस आदेश के जारी होनेके दिनांक से 15 दिवस में पूर्ण करें :–

(पूर्ति योग्य कार्यवाही)

1.
2.
3.
4.
5.

3. निर्धारित अवधि मे सुविधा उपभोग न करने पर यह आदेश स्वमेव अप्रभावशील / निरस्त माना जायेगा एवं कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
कार्यालय की सील

क्रमांक–........... / 2004 / दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. उद्योग आयुक्त / प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ
2. अन्य संबंधित विभाग / संस्था ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
कार्यालय की सील

प्रपत्र–4

''उद्योग मित्र योजना 2004''

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ....

आवेदन पंजीयन सह निराकरण पंजी

प्रकरण पंजीयन का प्रमांक एवंदिनांक	आवक क्रमांक एवं दिनांक	आवेदक इकाई का नाम, कार्यालयीन व इकाई स्थल का पूर्ण पता	इकाई के प्रमुख संचालक का नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष क्रमांक	योजनांतर्गत इकाई की पात्रता श्रेणी	श्रेणी अनुसार इकाई द्वारा चाही गई सुविधा/राहत विकल्प	इकाई को पात्रतानुसार सूचति सुविधा/राहत, यदि पात्र नहीं है तो कारण दर्शायें	इकाई को निर्णय सूचना पत्र जारी करने का दिनांक	आवेदक द्वारा शर्त पूर्ति का दिनांक	इकाई को सुविधा स्वीकृति आदेश जारी करने का दिनांक	क्या इकाई द्वारा स्वीकृत सुविधा काक पूर्णत: लाभ प्राप्त कर लिया गया है। विवरण दें।	अन्य रिर्माक	म. प्र/प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रपत्र 4 का साप्ताहिक गोश्वारा

प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	पात्रता न रखने वाले/ अमान्य आवेदन	शेष आवेदन एवं उनके पंजीयन क्रमांक	लंबित आवेदन के निराकरण न होने का कारण
1.	2.	3.	4.	5

नोट :–निर्णय सूचना पत्र जारी करना प्रकरण का निराकरण माना जायेगा।

महाप्रबन्धक/प्रबंध संचालक